**दिनांक 18.08.2015 को 3.30 बजे अपराह्न में कृषि विभाग, विकास भवन, पटना के सभा कक्ष में कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि एवं सम्बद्ध विषयों पर उप समिति की बैठक की कार्यवाही :-**

1. उपस्थिति– पंजी में संघारित।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा गत एस0एल0बी0सी0 की कृषि की उप समिति की बैठक में रबी 2014–15 में प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से हुई फसलों की व्यापक क्षति की स्थिति में अल्पकालीन फसल ऋण (Short term Crop loan) को मध्यकालीक ऋण (Medium term loan) में पुनर्गठित (restructuring) करने हेतु 33% या इससे अधिक फसल क्षति को आधार माने जाने तथा इस संबंध में अबतक की गई कारवाई को संबंध में उपस्थिति बैंक अधिकारियों से जानकारी ली गई।
3. भारतीय रिजर्व बैंक, पटना के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बैंको द्वारा राहत प्रदान करने हेतु फसल क्षति 50% अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही प्राकृतिक आपदा की घोषणा के लिए अधिसूचना जारी करने की तिथि से 45 दिन अर्थात 20 अगस्त 2015 तक यह मान्य रहेगा। इस अवधि में ऋण के पुनर्गठित (restructuring) की प्रक्रिया संबंधी कार्य बैंको द्वारा की जानी है।

   कार्रवाई–एस0एल0बी0सी0, पटना।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा 33% अथवा इससे अधिक फसल क्षति को आधार मानकर इनपुट अनुदान (Input Subsidy) देने की स्वीकृति दी गई है। उन्होनें 50% अथवा इससे अधिक फसल क्षति वाले क्षेत्र को चिन्हित कर इसकी सूचना बैंक अधिकारियों/जिला लीड बैंक प्रबंधक को उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र निर्गत करने का निदेश दिया। साथ ही ऋण के पुनर्गठन हेतु निर्धारित तिथि 20 अगस्त 2015 की अवधि को 30 सितम्बर 2015 तक बढ़ाने हेतु तथा अल्पकालीक ऋण को मध्यकालीन ऋण में बदलने के लिए फसल क्षति का आधार 33% अथवा इससे अधिक निर्धारित करने हेतु महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखने का निदेश दिया। अतः कम से कम 33% क्षति के आधार पर ही अल्पकालीक फसल ऋण को मध्यकालिक ऋण में बदलने की कार्रवाई करना उचित होगा।

   कार्रवाई–सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा किसान क्रेडित कार्ड/कृषि ऋण एवं अन्य Allied activity (Dairy, Fishery, Poultry) अन्तर्गत On Line आवेदन सृजन (Generate) करने हेतु बैंको से अनुरोध किया गया। के0सी0सी ऋण के लिए बैंकों का सामान्य प्रपत्र (Common Formate) पूर्व से ही निर्धारित है। संयोजक बिहार राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति, पटना को सभी बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर On Line आवेदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

   कार्रवाई–एस0एल0बी0सी0/सभी बैंकों के राज्यस्तरीय प्रमुख।
6. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा वार्षिक शाख योजना (Annual Credit Plan) 2015–16 अन्तर्गत कृषि प्रक्षेत्र के विभिन्न योजनाओं में बैंकवार/जिलावार ऋण वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड/कृषि ऋण तथा अन्य Allied activity (Dairy, Fishery, Poultry) अन्तर्गत दिनांक 30.06.2015 तक ऋण वितरण की अद्यतन स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया गया संबंधित बैंकों को प्रगति में सुधार लाने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया।

   कार्रवाई–एस0एल0बी0सी0/सभी बैंकों के राज्यस्तरीय प्रमुख।
7. नवार्ड के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि Car Loan/Housing Loan के लिए बैंको में कार्यरत Portal से On Line ऋण आवेदन प्राप्त करने हेतु के0सी0सी0 आवेदन को जोड़ने की आवश्यकता है।

   कार्रवाई–एस0एल0बी0सी0, पटना।
8. कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा नए के0सी0सी0 ऋण की स्वीकृति B.C. Model के द्वारा किए जाने की जानक़ारी दी गई तथा इसका फलाफल बेहतर होने की सूचना दी गई।

9. कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा भू–धारिता प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) में गड़बड़ी होने की जानकारी दी। उन्होंने बतलाया कि अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत कुछ LPC में Restricted for KCC Only लिखा हुआ है। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा भू–धारिता प्रमाण पत्र में उत्पन्न समस्यों के संबंध में सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्यस्तरीय बैंकर्स कमिटी, संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पटना के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु संबंधित बैंक अधिकारियों को सुझाव दिया ताकि इस संबंध में संबंधित राजस्व पदाधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

कार्रवाई–एस0एल0बी0सी0 / सभी बैंकों के राज्यस्तरीय प्रमुख।

10. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा Dairy/ Fishery/ Poultry अन्तर्गत ऋण की स्वीकृति के0सी0सी0 के माध्यम से करने हेतु बैंक पदाधिकारियों से सुझाव की माँग की गई।

कार्रवाई–एस0एल0बी0सी0, पटना।

11. कृषकों के Joint Liability Groups (JLG) अन्तर्गत ऋण की स्वीकृति कम होने पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा इसे आत्मा (ATMA) के कृषक समूह (Farmers Group) से जोड़ने का सुझाव दिया गया।

12. बिहार राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि की उप समिति की अगली बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग / जीविका / बीमा कम्पनी निगम के प्रतिनिधि को आमंत्रित करने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया।

कार्रवाई–सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

13. प्रत्येक बुधवार को बैंक शाखा के स्तर पर के0सी0सी0 कैम्प का आयोजन का निर्णय पूर्व में एस0एल0बी0सी0 की बैठक में लिया जा चुका है। परन्तु बैंक शाखा स्तर पर के0सी0सी0 कैम्प का आयोजन नहीं किया जा रहा है। जिले में प्रत्येक प्रखंड में बैंक शाखा के स्तर पर के0सी0सी0 कैम्प के आयोजन हेतु एक कैलेण्डर तैयार कर सहायक महाप्रबंधक, एस0एल0बी0सी0 संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पटना को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

कार्रवाई–सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

14. श्री संजीव श्रीवास्तव, सदस्य स्टेट इनोभेशन कॉउन्सिल, पटना द्वारा राज्य में Egg Laying Birds परियोजना अन्तर्गत अंडे के उत्पादन हेतु कृषकों को ऋण की स्वीकृति के संबंध में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिवान, शाखा द्वारा उदासीनता बरतने की जानकारी दी गई। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि द्वारा सात दिनों के अन्दर ऋण की स्वीकृति का आश्वासन दिया गया।

15. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि विगत दो वर्षों से राज्य में अंडे के उत्पादन हेतु ऋण की स्वीकृति के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। प्रारम्भ में राज्य में अंडे के उत्पादन हेतु 1600 यूनिट तैयार करने के लिए कृषकों को चयन किया गया था, ताकि राज्य अंडे का उत्पादन में आत्म निर्भर हो सके। प्रथत चरण में सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद कुछ कृषकों को ऋण की स्वीकृति अबतक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिवान शाखा द्वारा नहीं दिया जा सका है। Egg Laying Birds परियोजना अन्तर्गत अंडे के उत्पादन हेतु नए सिरे से आवेदकों / कृषकों के चयन करने तथा ऋण स्वीकृति हेतु इच्छुक बैंक के साथ बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैंक की कार्रवाई समाप्त की गई।

20.8.15

**(विजय प्रकाश)**
कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक 4056 / दिनांक 21-8-2015 /

**प्रतिलिपिः**– सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य स्तरीय, बैक्र्स समिति संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, ग्रामीण व्यवसायी ईकाई–1, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पाँचवा तल्ला, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना / सहायक महाप्रबंधक नवार्ड, मौर्यालोक, कम्पलेक्स, ब्लॉक 'बी' चौथी एंव पाँचवी तल, डाकबंगला रोड, पटना / उप निदेशक, बैकिंग, वित्त (सांस्थिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.8.15

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक 4056 / दिनांक 21-8-15 /

**प्रतिलिपिः**– श्री संजीव श्रीवास्तव, सदस्य, स्टेट इनोभेशन कॉउन्सिल, फ्लैट नं0–505, जसकान रेसिडेन्सी, पश्चिमी जजेज कॉलोनी, दानापुर, पटना–801503 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक 4056 / दिनांक 21-8-15 /

**प्रतिलिपिः**– प्रतिलिपिः– कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य पालन, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/उप महाप्रबंधक, कम्फेड, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक(शिक्षा), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक(सां0),बिहार, पटना/सिचाई विशेषज्ञ, पी0पी0एम0 कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक 4056 / दिनांक 21-8-2015 /

**प्रतिलिपिः**– प्रतिलिपिः– उप सचिव, वित्त(सांख्यिक वित्त), ललित भवन, बेली रोड, पटना/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।